राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 763वी बैठक दिनांक 28.12.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)**			SEAC द्वारा अनुशंसित	अनुमोदित
2.	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)**			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	स्पष्टीकरण
3.	8740/2021	7 (i0	Construction & Development of Sanitary / Scientific Landfill	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	8686/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9413/2022	1(a)	लेटेराईट व क्ले खदान	For ToR	स्वीकृत
6.	9416/2022	1(a)	लेटेराईट व क्ले खदान	For ToR	स्वीकृत
7.	9422/2022	8 (b)	Multi-Storey Residential and Commercial Building	For ToR	स्वीकृत
8.	9447/2022	1(a)	रेत खदान	For ToR	स्वीकृत
9.	9419/2022	1(a)	पत्थर व मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
10.	9426/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9427/2022	1(a)	पत्थर व एम सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9429/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9425/2022	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9410/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	9211/2022	5(f)	Manufacturing of API & API Intermediates	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	7947/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
17.	9048/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9438/2022	1(a)	पत्थर व एम सेण्ड	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
19.	9440/2022	1(a)	मुरूम खदान	For ToR	स्वीकृत
20.	9450/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
21.	9442/2022	1(a)	लेटेराईट व ऑकर खदान	For ToR	निरस्त

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

22.	9446/2022	1(a)	ऑकर खदान	For ToR	निरस्त
23.	9445/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	निरस्त
24.	9421/2022	1(a)	पत्थर व एम सेण्ड	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति
25.	9435/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति
26.	9443/2022	1(a)	पत्थर व मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति
27.	9436/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति
28.	9437/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति
29.	9444/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृति

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वीं बैठक दिनांक 07/12/2022 में श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

".................. खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क्र0/खनि/3–6/DSR/2022/12773 दिनांक 05/12/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज–रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये। "

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 609वीं बैठक दिनांक 07.12.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए श्योपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) **पर SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं को मान्य कर अनुमोदन किया जाता है।**

तदानुसार जिला कलेक्टर, गुना को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, इन्दौर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वीं बैठक दिनांक 07/12/2022 में इन्दौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

".................. अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी उपरोक्त जानकारी को समावेश कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पुनः समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। "

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 609वीं बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर इन्दौर को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये। प्राधिकरण ने वांछित जानकारी प्रस्तुत करने पर हो रहे विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

3. **Case No 8740/2021:** Prior Environment Clearance for Construction & Development of Sanitary / Scientific Landfill at Trenching Ground, Bhopal Bypass Road, Dist. Dewas (MP) .M/s. Commissioner, Municipal Corporation Dewas (PP) , ward No. 27, Near S.P. Office and Police Control Room, AB Road, Shivaji Nagar, MotiBunglow, Dewas, M.P.

1. प्रस्तावित परियोजना नगर निगम देवास द्वारा खसरा क्रमांक 1258,1259 इंदौर–भोपाल बाईपास रोड, तहसील एवं जिला देवास में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण सेनेटरी/ साइंटिफिक लैंडफिल साइट के कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
2. देवास ट्रेन्चिंग ग्राउंड का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है जिसमे से 0.2911 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लैंडफिल किया जायेगा। सेनेटरी लैंडफिल साइट को कुल 26000 क्यूबिक मीटर कचरे का निष्पादन करने हेतु विकसित किया जायेगा।
3. यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना के और इसके संशोधनों के अनुसार 7 (i) श्रेणी बी के अंतर्गत आती है।
4. देवास शहर के लिए लैंडफिल की डिजाइन लाइफ 5 साल मानी गई है। भविष्य में आवश्यक लैंडफिल को आवश्यकतानुसार चरणवार डिजाइन किया जाएगा।
5. प्रस्तावित परियोजना को एकीकृत तरीके से लागू किया जायेगा जिसमे सॉलिड वेस्ट मैनजमेंट के कंपोनेंट्स यानी प्राइमरी कलेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रीटसहित स्ट्रीट स्वीपिंग नालियों की सफाई, सेकेंडरी स्टोरेज, परिवहन, सेनेटरी लैंडफिल में कचरे का उपचार और अंतिम निपटान शामिलहोगा।इस परियोजना में कंपोस्टिंग, इंसीनरेटर, ईटीपी जैसी कोई अन्य सुविधा प्रस्तावित नहीं है।
6. वर्तमान में, साइट रिक्त भूमि है और साइट के पास ही डंपिंग सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग पहले से ही किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देवास नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के विकास के लिए भूमि आवंटन की गई है :–
7. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Information	Details
1	Project name	Construction & development of Sanitary/Scientific Landfill.
2	Area	Total Area-0.2911 Ha Sanitary Landfill Capacity for 5 year's : 26,000 m^3

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	Name of the Project Proponent	Municipal Corporation Dewas Ward No. 27, Near S.P. Office and Police Control Room, AB Road, Shivaji Nagar, Moti Bunglow, Dewas, Madhya Pradesh-45500
4.	Location of Site	Trenching Ground Indore-Bhopal Bypass Road. Tehsil -Dewas District-Dewas(Madhya Pradesh)
5	Latitude & Longitude Corner 1 Corner 2	22°56'27.23"N 76° 4'17.72"E 22°56'30.89"N 76° 4'12.42"E 22°56'31.38"N 76° 4'17.23"E
6	Water Requirement and its source	During the construction phase, 15 m3/day of water will be required that will be met through water tanker. During the operational phase, 10 m3/day of water will be required, the source of water will be Municipal supply.
7	Power Requirement and its source	150kW (***Source:*** State Electricity Board)
8	Project Cost	1.42 Crore

8. अधिसूचना में निहित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई अपर जिलाधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास की अध्यक्षता मे दिनांक 20.05.2022 को सम्मेलन हॉल, नगर निगम में निगम देवास,जिला देवास में आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान बस्ती के पास लैंडफिल साइट की स्थापना, मानव स्वास्थ्य और कृषि पर प्रभाव, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार, अपशिष्ट जल का उचित उपचार और परियोजना की स्थापना से होने वाले प्रदूषण के डर से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसके सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया।

9. डीएफओ के पत्र सं. डीएम/2022/317, दिनांक 18.01.2022 के अनुसार परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव उद्यान स्थित नहीं है।

10. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 609वीं दिनांक 07.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. **08** से **15** तक अंकित है।

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

i. कम्पोस्टिंग से उत्सर्जित मिथेन गैस का एकत्रितकरण कर ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाये ।

ii. लैंडफिल को अंतिम रूप से ढकने के चरण में गैस बाहर निकलाने के लिये गैस वेंटिंग प्रणाली को स्थापित किया जाना सुंनिश्चित करे ।

iii. दुर्गन्ध को रोकने हेतु सप्ताह में दो बार कम्पोस्ट पैड की नियमित रूप से टर्निंग की जाना चाहिए तथा दुर्गन्धनाशक सेनेटाईजर का छिड़काव किया जाना चाहिये।

iv. परियोजना स्थल के चारो और सघन वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

v. जन सुनवाई में उठे मुद्दों का निश्चित रूप से परिपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

vi. एकत्रित अपशिष्ठ में अधिकतम Wealth Recovery करे एवं उनका पुनर्चक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 609 वीं बैठक दिनांक 07.12. 2022 कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु क्र. (i) से (vi) तक एवं परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रकरण क्र 8686/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री मदन अग्रवाल, निवासी लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.85 हेक्टेयर, खसरा 291, ग्राम कसई, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **राष्ट्रीय राजमार्ग व आबादी से 200 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल,सिस्सू एवं अन्य चारे के पेड़ की स्थानीय प्रजातियां	938
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	235
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	235
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत कसई)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	107

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत कसई के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	235
6.	ग्राम पंचायत कसई के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	1850

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम कसई में ग्रामवासियों के लिये पेयजल हेतु बोरिंग कराकर हैण्ड पंप स्थापित किया जाये।
- ग्राम कसई के शमशान घाट को विकसित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री मदन अग्रवाल, निवासी लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.85 हेक्टेयर, खसरा 291, ग्राम कसई, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी का पत्र क्र. 134 दिनांक 17.05.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.05.2031 तक मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र 9413/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनल राय पत्नी श्री संजय राय, निवासी होटल उत्सव विलास, न्यू ओवर ब्रिज के सामने, सागर–दमोह मेन रोड़, हिरदेपुर, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट व क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 140562 टन प्रतिवर्ष व क्ले 21627 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.150 हेक्टेयर, खसरा 69, ग्राम मझगवां, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु विशेष तौर से पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु समुचित उपायों की जानकारी का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र 9416/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनल राय पत्नी श्री संजय राय, निवासी होटल उत्सव विलास, न्यू ओवर ब्रिज के सामने, सागर–दमोह मेन रोड़, हिरदेपुर, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट व क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 153915 टन प्रतिवर्ष व क्ले 29156 टन प्रतिवर्ष, रकबा 25.00 हेक्टेयर, खसरा 595, 610, ग्राम उत्तमपुर, तहसील स्लीमनाबाद, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

VII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु विशेष तौर से पीएम 10 एवं पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु समुचित उपायों की जानकारी का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **Case No 9422/2022** Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Baqwadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP) Total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre), builtup area 2,94,024 sqm by Shri Devendar Chowksey S/o Shri Narmada Prasad Chowksey R/o Dvision 08, E-8 Bawadiyakalan, Bhopal (MP)-462023 . Cat. 8(b) Townships and Area Development projects.

1. प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय और वाणिज्यिक भवन "रुद्राक्ष किंग्स्टन ग्राम बाबड़ियाकलां, तहसील हुजूर, जिला– भोपाल (एमपी) टाउनशिप एवं एरिया डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 610 वीं दिनांक 08.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 **से** 12 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया –

a) परियोजना स्थल का Contour Map संलग्न करें। साथ ही प्रस्तावित Drainage का विवरण भी दें।

b) वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एवं अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ठ जल के निष्पादन हेतु नगर निगम भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

c) प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल एवं प्रजाति सहित पेड़ों की संख्या।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

d) परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।

e) वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से उल्लेख करें।

f) परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का उल्लेख करें।

g) परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट में स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की संभावना और संचयन की मात्रा के संबंध में गणना प्रस्तुत करे।

h) प्रस्तावित कार्यस्थल के दोनो ओर मास्टर प्लान की रोड़ प्रस्तावित है, इनसे होने वाले ध्वनि प्रदूषण एवं धूल मिट्टी से रहवासियो के बचाव के लिये प्रस्तावित रक्षात्मक उपायों की व्याख्या करें।

i) प्रस्तावित निर्माण के पढ़ने योग्य परिकल्पना मानचित्र संलग्न करें, जिसमें प्लान एवं सेक्शन माप सहित प्रस्तुत किये जाये।

j) भूकंप, आकाशीय बिजली एवं अग्निशमन के खतरों को ध्यान में रखकर परियोजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जा रही है का विवरण दें।

k) योजना की अधिकतम ऊचांई 45 मीटर, T&CP में अनुमोदित की गई है। परियोजना अंतर्गत अधिकतम ऊचांई कितनी रखी जावेगी जो कि ग्रांउड लेबल से कितनी ऊचांई प्रस्तावित किया गया है, विवरण दें।

l) भवन निर्माण के दौरान खुदाई से निकाली जाने वाली मिट्टी की मात्रा एवं उसके प्रबंधन की क्या योजना है विस्तृत विवरण दें।

m) प्रस्तावित STP का विवरण एवं उनकी स्थापना कहां की जायेगी एवं STP के बाद निकलने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता (BOD, TSS, Faecal Coliform, T-N, T-P, ऑयल ग्रीस की मात्रा एवं pH) क्या रहेगी और इस उपचारित पानी का क्या उपयोग किया जायेगा विवरण दें।

8. प्रकरण क्र 9447/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, पार्टनर, श्री दिनेश सेन, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 13.450 हेक्टेयर, खसरा 339, ग्राम बेलखेड़ी, तहसील शाहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

III. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IV. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

VI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

IX. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में रेत खदानों के कलस्टर Situation से संबंधित दिशा निर्देश प्रावधानित किये गये है जिसमें कलस्टर की दूरी, उसका एरिया, तथा अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका परिपालन आवश्यक है। अतः ईआईए में उक्त प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो प्रावधानासुर आवश्यक संशोधन कर ईआईए में इसका विस्तृत उल्लेख किया जाये। SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने पर विचार करते समय उक्त गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र 9419/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री देवधर इंगले आत्मज श्री पंजाबराव इंगले, निवासी बारस्कर कॉलोनी, महावीर वार्ड, टिकरी, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व मुरूम 7653 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 49/1/2, 50/6, ग्राम अम्बाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC **की अनुशंसा अनुसार** ***"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पेड लगा है जिसे काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

10. प्रकरण क्र 9426/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पट्टीया, मुरूम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच–7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु. जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से 100 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, चिरोल, आदि।	100
2	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	250
3	दूसरे वर्ष में ग्राम भलुहा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, मुनगा ,आम, करंज, आवला, नीम आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, मुनगा आदि।	800
		कुल	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम भलुहा के आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नर्मदा ढोका, पत्थर, पट्टीया, मुरूम, गिट्टी उत्खनन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्यादित रामनाई, निदेशक, श्री सतीश कुमार मिश्रा, निवासी एन.एच–7 पाउंड, ग्राम चोरगरी के पास, पोस्ट नौधिया, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 310/1 भाग, ग्राम भलुहा, तहसील रामपुर कर्चु. जिला रीवा (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 3667 दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.03.2032 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र 9427/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.एस. माईंस एल.एल.पी, प्रोपराईटर, श्री पंकज सिंह, निवासी 310, प्लाट नं. 04, टॉप फ्लोर, वर्धमान तारू प्लाजा, सी.यू. ब्लॉक, लोकल शापिंग सेंटर, पीथमपुरा, दिल्ली (नार्थ–वेस्ट) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 2300 व एम सेण्ड 20700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 16, 19, ग्राम निमखिरिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से 200 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	केतकी, कचनार नीम, खमेर, करंज, चिरौल, आमला एवं सीताफल	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, सीताफल, शीशम (सिस्सू), करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय व ट्री–गार्ड के साथ	400
3	निमखिरिया स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, करंज, बेल एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	100
4.	ग्राम निमखिरिया के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, बेर नीबू, महुआ, अमरुद, शहतूत, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	900
		कुल	1800

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम निमखिरिया के माध्यमिक स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.एस. माईनस एल.एल.पी, प्रोपराईटर, श्री पंकज सिंह, निवासी 310, प्लाट नं. 04, प्रथम तल, वर्धमान तारू प्लाजा, सी.यू. ब्लॉक, लोकल शापिंग सेंटर, पीथमपुरा, दिल्ली (नार्थ–वेस्ट) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 2300 व एम सेण्ड 20700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 16, 19, ग्राम निमखिरिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) का पत्र क्र. 2959 दिनांक 13.04.2022 में अंकित लीज सैद्वान्तिक आदेश क्र. 869 दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2032 तक मान्य रहेगी।

12. **प्रकरण क्र 9429/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, अधिकृत व्यक्ति, श्री दिनेश सेन, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 782, ग्राम देवरी कन्हाई, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ)** की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 36000 घनमीटर दर्शित है, अतः

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	अध्यक्ष

माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष **(SEAC की अनुशंसा अनुसार)** तक ही मान्य रहेगी। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित उत्पादन क्षमता से एवं LoI में दर्शित उत्पादन क्षमता से अधिक का उत्खनन नहीं किया जायेगा, इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iv) SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 07.20 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेगे ।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नीम, नागर मोथा खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	**1200**
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	आमा, हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	800
2	ग्राम देवरी – कन्हाई के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
		कुल	**2400**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- तहसील– सीहोरा के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में 05 व्हीलचेयर प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसिएट, अधिकृत व्यक्ति, श्री दिनेश सेन, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 782, ग्राम देवरी कन्हाई, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर का आदेश क्र. 1604 दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र 9425/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सीमा सिंह पत्नी स्व. श्री अरूण सिंह, निवासी 74/1, रामनगर–2, सिविल लाईन, ललीतपुर (उ.प्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 2062 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.110 हेक्टेयर, खसरा 1932/1 भाग, ग्राम रामटौरिया, तहसील बड़ामल्हेरा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
4.	शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
		कुल	1500

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रामटौरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर की रंगाई पुताई का कार्य एवं 01 कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सीमा सिंह पत्नी स्व. श्री अरूण सिंह, निवासी 74/1, रामनगर–2, सिविल लाईन, ललीतपुर (उ.प्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 2062 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.110 हेक्टेयर, खसरा 1932/1 भाग, ग्राम रामटौरिया, तहसील बड़ामल्हेरा, जिला छतरपुर (म.प्र.)। खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का आदेश क्र. 3–63/2007/12/1 दिनांक 23.07.2009 के माध्यम से उक्त खदान को 20 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.07.2029 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र 9410/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया, निवासी रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 345, ग्राम रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 609वी बैठक दिनांक 07.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **निम्नानुसार** निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशामें 10 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर पक्का रोड़ परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13.12.2022 के माध्यम से खनन क्षेत्र में नॉन ब्लास्टिंग हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः नॉन ब्लास्टिंग के परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. **Case No 9211/2022:** Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates (Production Capacity – 1839 MTPA, By Product – 385.69 MTPA) at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC VikramUdyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP) by M/s ANGEEL OAK SpecialityChemtech Pvt. Limited, 218, Shekhar Central, 4-5, Manoramaganj, Near Palasia Square, Dist. Indore, MP - 452001,. Env. Consultant - M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

1. यह प्रकरण डीएमआईसी, विक्रम उद्योगपुरी, जिला उज्जैन (एमपी) में प्लॉट नंबर 59, 60, 61, & 63 पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएन्ट्स और एपीआई इन्टरमिडियेट्स के प्रस्तावित उत्पादन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षमता 1839 MTPA उत्पादन के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है । उक्त परियोजना M/s ANGEEL OAK Speciality Chemtech Pvt. Limited के द्वारा प्रस्तावित की गई है ।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डीएमआईसी, विक्रम उद्योगपुरी जिले में प्लॉट नंबर 59, 60, 61, और 63 पर 63144.92 sq-m की भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

3. प्रकरण को एसईएसी की 579 वीं बैठक दिनांक 17.06.22 को टीओआर हेतु अनुशंसा की गई थी जिसे SEIAA की 734वीं बैठक दिनांक 02.07.22 में मान्य करते हुए पत्र क्रमांक 974–75, दिनांक 08.07.22 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

Required Details	Project Details
Land acquired	63144.92 Sq meters
Production Capacity	1839 MTPA (Products)
Cost of Project	70 Crore
Power Requirement	1000 KW
Alternative Source of Power (D.G. Sets)	600 KVA (2Nos.)
Water Requirements	273 KLD (Water Connection of 300 KLD from DMIC)
Waste water generation	103 KLD
Boiler	3 Tons (1Nos)
Thermic Fluid Heater	6 lakh Kcal. (1 Nos.) 10 lakh Kcal. (1 Nos.)
Green belt Development	20837.8 Sq meters
ETP	परियोजना में जेडएलडी आधारित ईटीपी 120 केएलडी (ईटीपी का 70 केएलडी + एमईई का 50 केएलडी) प्रस्तावित है, जो 103 केएलडी के सबसे खराब स्थिति (worst case scenario) से अधिक है।
Scrubber	3000 Lt. – 04 Nos. (Multi Stage Scrubber) 1000 Lt. – 02 Nos. (Single Stage Scrubber) परियोजना में 924.98 किग्रा/दिन खतरनाक अपशिष्ट का उत्सर्जन होगा जिसके लिए 3KLD की क्षमता वाले 4 स्क्रबर और भंडारण क्षेत्र के लिए 1 KL की क्षमता वाले 2 स्क्रबर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
EMP cost (capital)	476.70 Lacs
EMP cost (Recurring)	40.3 Lacs
CER	140 Lacs

5. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 610 वीं दिनांक 08.12.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 12 तक अंकित है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. SEAC की **अनुशंसा अनुसार** परियोजना की उत्पादन क्षमता निम्ननुसार है –

S.No.	Products	Quantity MTPA
1	Ortho fluoro Aniline	135
2	Para fluoro Aniline	134
3	2,4 Dichlorofluoro Benzene	200
4	1,3 Difluoro benzene	150
5	5 Nitro Salicylic Acid	180
6	Para fluoro anisole	100
7	Para fluoro Phenol	89
8	HexaFluoro Iso propyl methyl ether	483
9	Celecoxib	60
10	2,4 Di fluorobenzyl amine	60
11	1 Fluoro Naphthalene	60
12	3,5 Difluoro aniline	50
13	Para fluoro benzoic acid	138
	Total	**1839**

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

(ii) परियोजना में उत्सर्जित अपशिष्ट जैसे Spent HCL, H_2SO_4एवं Bromin को अधिकृत रिसाइकलरों को बेचा जाये।

(iii) खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के समय–समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना में ZLD की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित है, परियोजना अंतर्गत उच्च COD वाले जल अपशिष्ट के MEE एवं ATFD द्वारा उपचारित किया जायेगा एवं निष्पादन हेतु भेजा जायेगा। निम्न COD वाले जल अपशिष्ट का उपचार ETP से उपचारित कर पुर्न उपयोग किया जायेगा।

(v) परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

(vi) ईकाई से निकलने वाली दुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकूल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करने वाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेथन, वेट स्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीन बेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

(vii) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाने एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

(viii) सघन हरित क्षेत्र (33% से कम नहीं) साइट के चारों ओर विशेष रूप से प्रमुख हवा की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए ।

(ix) उद्योग से उत्सर्जित Waste Heat का पुर्नउपयोग सुनिश्चित किया जावे।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 598वीं दिनांक 07 अक्टूबर 2022 की **कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु i से ix एवं परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

16. **प्रकरण क्र 7947/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री ललीता प्रसाद बघेल, निवासी ग्राम हिवाला, पोस्ट मंडला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 3/1/ख, ग्राम बामहागांव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व में 200 मीटर, पश्चिम में 70 मीटर एवं दक्षिण में 130 मीटर पर आबादी तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के समीपस्थ पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में मानब बसाहट होने तथा खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर आमजन के आवागमन हेतु कच्ची सड़क परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण बसाहट क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण कमांक 9048/2022 – श्री अंकित गुप्ता आत्मज श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, निवासी रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 7,980 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 83, 84/1, 103/1, रकबा 02.00 हेक्टेयर, ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 100 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 09 जीवित पेड़ों को काटा नही जाये एवं उनका सरंक्षण किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये एवं ऐसे अन्य पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित अन्य लीज धारकों के साथ समन्वय एवं सहयोग से परिवहन मार्ग (Haul Road) में संयुक्त रूप से पाईपलाईन बिछाकर धूल के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, बरगद, कस्टार खमेर, उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां इत्यादि।	740

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, सेमल, करंज, उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	123
3	शासकीय विद्यालय पिपलदेहा	कदम्ब, अमलतास, सीताअशोक, करंज नीम, कचनार, गुलमोहर इत्यादि।	10
4	ग्रामवासी पिपलदेहा, मोहनपुरा, देवझारीपंडा, गदवाडी को ग्रामवासी में बांटे जाएंगे।	बेल इमली, आवंला, कठहल, आम, अमरूद, अन्य फलदार प्रजातियां।,	1527
		कुल	2400

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पिपलदेहा के शासकीय प्रथामिक शाला में पेयजल हेतु एक हैंड पंप की स्थापना की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अंकित गुप्ता आत्मज श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, निवासी रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 7,980 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 83, 84/1, 103/1, रकबा 02.00 हेक्टेयर, ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला झाबुआ का पत्र क्र. 1423 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.12.2031 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18. **प्रकरण क्र 9438/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप श्री इन्फ्रा, प्रा.लि. निदेशक, श्री लीलाधर आत्मज श्री किशन लाल वर्मा, निवासी 06, जवाहर टेकरी, धार रोड़, जिला इंदौर (म.प्र) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/4/3/1, ग्राम रावड, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

> *"...........प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित इस स्थल की लोकेशन त्रुटि पूर्ण है क्योकि जो लोकेशन ऑन लाईन अपलोड की गई है वह बदल गई है तथा उसके अनुसार माईन प्लान में भी संशोधन किया जा रहा है । समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रस्तावित स्थल ही चिंहित नही है अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर विचार किया जाना अनुशांसित नही है । अतः प्रकरण निरस्तीकरण की अनुशंसा के साथ आगामी कार्यवाही हेतु सिया को प्रेषित किया जाये"*

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए उपरोक्त प्रकरण को निरस्त निर्णित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र 9440/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीपक ट्रेडर्स, प्रोपराईटर, श्री देवेन्द्र रघुवंशी, निवासी 193, विश्वनाथ धाम कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 754, ग्राम जामगोद, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

VII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

X. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. **प्रकरण क्र 9450/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री विंदया धवल कुमार आत्मज रमणिक भाई, निवासी अतिथ्य पार्क, समरस होटल के सामने, जिला बडौदरा (गुजरात) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 299250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.0 हेक्टेयर, खसरा 10/1/1/क, ग्राम धबाईपाड़ा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

21. **प्रकरण क्र 9442/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विकास मिनरल्स, निवासी ए–10, लक्ष्मी नारायण स्टेट, रीवा रोड़, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा लेटेराईट व ऑकर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 190000 व ऑकर 7408 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.295 हेक्टेयर, खसरा 90, 88/1क, 88/1ख–2, 88/1/ख–3, 88/1ख–4, 88/2 व 90, ग्राम अमरिती, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो–बीच से एक पक्की सड़क होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के मध्य क्षेत्र पक्की सड़क परिलक्षित होने एवं आम जन के आवागमन में उपयोग में होने के साथ उनकी सुरक्षा को देखते हुये तथा क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्धारित दूरी के मापदण्ड के परिपालन में न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है। अतः खनन गतिविधियों के कारण आवागमन (पक्की सड़क) के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **प्रकरण क्र 9446/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल खनिज उद्योग, प्रोपराईटर, श्री रामचन्द्र बंसल निवासी वार्ड नं. 08, अग्रवाल धर्मशाला के सामने, जैतवारा, जिला सतना (म.प्र) द्वारा ऑकर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 83074 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.683 हेक्टेयर, खसरा 04, ग्राम जमुवानी, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पश्चिम में 05 मीटर पर आबादी, उत्तर से दक्षिण में 16 मीटर पर कच्ची सड़क होना परिलक्षित है साथ ही खदान पहाड़ी पर स्थित है जिस पर मुंडा माता का मंदिर स्थित है जिसका पहुंच मार्ग भी पहाडी पर दृष्टिगत हो रहा है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के पश्चिम में आबादी, उत्तर से दक्षित में कच्ची सड़क व खदान क्षेत्र पहाड़ पर मुंडा माता का मंदिर परिलक्षित है। अतः निर्धारित मापदण्डों के परिपालन में खनन गतिविधियों के कारण मानव बसाहट पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव तथा क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **प्रकरण क्र 9445/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्काई लाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर, श्री पवन कुमार तिवारी, निवासी ग्राम हर्रा, तहसील महुगंज, जिला रीवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 49875 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/क, 42/1, 42/3/क, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 व 26/1, ग्राम हर्रा, तहसील महुगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व में 120 मीटर पर आबादी, 15 मीटर पर कुछ मकान, उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

चूँकि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित खदान के पूर्व व दक्षिण दिशा में आबादी, उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में पक्की सड़क परिलक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी के मापदण्डों के परिपालन में क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुये तथा खनन गतिविधियों के कारण मानव बसाहट व आवागमन मार्ग के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. **प्रकरण क्र 9421/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सारंग पाटील, निवासी C/o देवीलाल पाटील, मकान न. 593/1, खरकलां, जिला खंडवा (म.प्र) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 व एम सेण्ड 15000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.920 हेक्टेयर, खसरा 275, ग्राम छिचगोहन, तहसील खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **खण्डवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	225
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम) पंचायत चिचगोहन)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
5.	ग्राम पंचायत चिचगोहन के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

6.	ग्राम पंचायत चिचगोहन के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	495
		कुल	2920

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम चिचगोहन के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 बेन्च व 05 कुर्सियां वितरित की जायें।
- ग्राम चिचगोहन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी से पराकर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सारंग पाटील, निवासी C/o देवीलाल पाटील, मकान न. 593/1, खरकलां, जिला खंडवा (म.प्र) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 व एम सेण्ड 15000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.920 हेक्टेयर, खसरा 275, ग्राम छिचगोहन, तहसील खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा का पत्र क्र. 712 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.09.2032 तक मान्य रहेगी।

25. **प्रकरण क्र 9435/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री आरिफ खान आत्मज श्री अमानुल्ला खान, निवासी ग्राम खडकवानी, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 157, ग्राम खडकेल, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 100 मीटर, आबादी से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि।	800
2	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 400 मीटर तक (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	300
3	ग्राम खडकेल के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में ;5500 वर्ग मीटरद्ध	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	600

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	650
		कुल	2400

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम कसरावद शासकीय स्कूल का मरम्म एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री आरिफ खान आत्मज श्री अमानुल्ला खान, निवासी ग्राम खडकवानी, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 9000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 157, ग्राम खडकेल, तहसील कसरावद, जिला खरगौन(म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 72858–59 दिनांक 22.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.09.2032 तक मान्य रहेगी।

26. **प्रकरण क्र 9443/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री शेलेश पनकर, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, सदर बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 12001 व मुरूम 3624 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.651 हेक्टेयर, खसरा 184/3, ग्राम जगधर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, आवला, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल आदि।	400
2.	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 280 मीटर तक (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	200
3	ग्राम जूनावानी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, कटहल ,आवला करंज, आदि।	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, संतरा निम्बू, कटहल आदि।	1350
		कुल	2000

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम जगधर में स्थित चेक डैम का पंचायत के परामर्श से सौंदर्यीकरण किया जाये एवं उसके आस पास पौधारोपण करवाकर उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग अथवा ट्री गार्ड लगाये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री शेलेश पानकर आत्मज श्री सुधाकर राव पानकर, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, सदर बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता पत्थर 12001 व मुरूम 3624 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.651 हेक्टेयर, खसरा 184/3, ग्राम जगधर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 6215–16 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.05.2032 तक मान्य रहेगी।

27. **प्रकरण क्र 9436/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद सेन आत्मज श्री नन्हेवीर सेन, निवासी ग्राम जोबा, पोस्ट सनाई डोंगरी, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 3000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 88, ग्राम जोबा, तहसील लखनौद, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **सिवनी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (जोबा)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत जोबा के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
6	ग्राम पंचायत जोबा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	1000

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम जोबा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद सेन आत्मज श्री नन्हेवीर सेन, निवासी ग्राम जोबा, पोस्ट सनाई डोंगरी, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 3000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 88, ग्राम जोबा, तहसील लखनौद, जिला

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

सिवनी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी का पत्र क्र. 1550 दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.07.2032 तक मान्य रहेगी।

28. **प्रकरण क्र 9437/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप सिंह बैंस आत्मज श्री राजा रहीस सिंह बैस, निवासी ग्राम रामपुर चौरासी, पोस्ट गांधी ग्राम, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 491पी, ग्राम रामपुर चौरासी, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना** प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जाये एवं उनका सरंक्षण किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सुबबूल, महुआ, बबूल, सिस्सू, चिरोल, नीलगिरी, बांस, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, करंज, चिरोल, सिस्सू, काला सिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण	आवंला, नीबू,सीताफल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	800
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर चौरासी की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, अशोक, अमलतास, सफेद सिरस, कपोक, कचनार, चिरोल, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
		कुल	2400

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रामपुर चौरासी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 02 कम्प्यूटर, प्रिंटर कम्प्यूटर टेबल साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप सिंह बैंस आत्मज श्री राजा रहीस सिंह बैस, निवासी ग्राम रामपुर चौरासी, पोस्ट गांधी ग्राम, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 10000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 491पी, ग्राम रामपुर चौरासी, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 12466–69 दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2032 तक मान्य रहेगी।

29. **प्रकरण क्र 9444/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कुशलगुरू कन्स्ट्रक्शन, निवासी मकान न. 55, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 25137 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 627/1, ग्राम खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वी बैठक दिनांक 08.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **राजगढ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पावर ग्रिड से 200 मीटर** तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सफेद सिरस, काला सिरस, सेमल, जामुन, सिस्सू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा,	1000

(मुजीबुरेहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	
4	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर एवं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिलचीपुर की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	1200
		कुल	4800

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम खिलचीपुर के शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य से परामर्श कर विज्ञान लैब हेतु प्रायोगिक सामग्री/उपकरण प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कुशलगुरू कन्स्ट्रक्शन, निवासी मकान न. 55, वार्ड नं. 02, बड़ा बाजार, नरसिंहपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 25137 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 627/1, ग्राम खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ का पत्र क्र. 879 दिनांक 11. 10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.10.2032 तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी--एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–3

1. The fresh water supply arrangement and NOC from competent authority should be obtained before the execution of the project.
2. PP should ensure periodic odour monitoring in and around the site, and adopt ecosorb spray to minimize the odour nuisance.
3. Proper road network with concrete road and parking facility should be provided for employees and vehicles being used for collection & disposal of MSW.
4. Waste segregation technology should be explored on the project site.
5. Zero discharge should be maintained regularly.
6. If Bio medical/hazardous waste is found mixed with MSW, then it should be disposed as per Hazardous/Bio Medical Waste Management Rules.
7. No Burning of waste shall be allowed at the MSW site.
8. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.
9. PP should ensure harnessing of roof water through recharging pits.
10. PP should establish a lab to monitor air emissions, spot noise level recording, gas quality for landfill area, stack emissions, waste discharge, ground water quality, soil quality etc.
11. A display board should be installed at the entrance gate of the MSW site to provide daily information of the quantity of MSW received during the day and lab analysis report on air, water, noise and odour.
12. PP should ensure to develop 0.63ha area as green belt by planting 500 nos of trees with species of Neem, Karanj, Gobar champa, Mango, Anjan, , Khamer Putran Jeeva, Bargad, Moleshree, Amaltash, Arjun, Achar, Ficus, Satparni, Sita Ashoka Tree etc.
13. Green area including thick green-belt shall be developed to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department.
14. Under CER activities PP has proposed budgetary provision of Rs. 15 lakh upto, the details of activities under CER should be finalized in consultation with the District Administration.
15. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
16. PP should obtain fire NOC from the competent authority before commencing the operation of the unit.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–4

1. **Waste water Management:**

(a)PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.

(b)Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.

(c)RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.

(d)There shall be no industrial effluent discharge from the unit.

2. **For Air Pollution:**

(a)PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.

(b)The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(c)PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(d)In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e)Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g)Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(h)For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency will not be less than 98%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Closed handling system should be provided for chemicals.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- System of leak detection and repair of pump/pipeline should be based on preventive maintenance.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

3. **Hazardous Waste:**

   (a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

   (b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

   (c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

   (d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

   (e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

4. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.

5. **Green Belt:**

   (a) PP should ensure plantation in area of 33% of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

   (b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

   (c) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.

6. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

7. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
8. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
9. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.
10. PP should ensure dismantling of their existing unit area as propsed.
11. PP should ensure disposal of storm water (if any) to linkage with AKVN (DMIC) drainage system.
12. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष